Report of the visit of Prof. S. Narayan, special Rapportuear, NHRC of M.P from 11th Dec. 2013 to 21st Dec. 2013.

Institutions visited

A. Jail

1. Central Jail, Bhopal
2. Central Jail, Indore
3. District Jail, Indore
4. District Jail, Harda

B. Police Station

1. One in Indore District
2. One is Maheswar
3. One in Bhopal

C. University

1. Barktulla University, Bhopal
2. AhilyaBai University, Indore

D. Hospital

1. District Hospital, Bhopal
2. District Hospital, Indore

E. Observation Home, Juvenile home, Indore.

F. Meeting with chief secretary, D.G. Police, Principal Secretary Jail etc. in Bhopal.

District administration of Indore.

G. Visit of Villages, District affected by communal Rights and Interaction with affected population, NGO. District administration of Harda district of M.P.

H. Public Distribution System

Observation

A. **Jail Visit**

1. It has been observed that the central jails of Bhopal and Indore and district jail of Indore and Harda are having more than double in terms of capacity of number of prisoners of the jail.
2. In each ward the earthen old dirty pictures, plastic containers and bucket filled with water and covered by unclean cloth have been observed in each jail. On enquiry it was told that the water is used for drinking purpose or toilet by the prisoners. It is not safe for drinking purpose.
3. The toilet to be used during night in lockup is only one for more than 100 prisoners/Undertrials.
4. The hygienic condition of the kitchen deserves attention.
5. There is no dietician in the jail department to prescribe food for prisoners.
6. Health department of the jail is neglected. In all visited jails the number of doctors is insufficient. Even on the sanctioned post doctors are not posted and posts are vacant.
7. No Female Doctors in majority of jails cause inconvenience to Women prisoners.
8. Psychiatristisnot posted in any jails as mental case has been reported in each jail.
9. The paramedical staff areinadequate number.

10. The jail security of Indore central jail and districts jail deserve our attention. The security wall isrequired to be raised sufficiently.
11. The security within jail also deserves our consideration. It has been observed that the prisoners of internal security, naxalism etc. are giving training to fellow prisoners.
12. Female law officersbe appointed in each jails because Women prisoners are unable to explain their problem with male law officers.
13. Decision of authorities on parole may be communicated to prisoners within specified period or at the earliest.
14. In some cases prisoners are in jail for more than their prison period. Some mechanism should be developed to check such cases.
15. Skill development programme and welfare programme be also introduced in District jails.
16. Jail superintendents of state jail service need to be promoted to the rank of I.G. jails. More post of DIG, jail and I.G. jail should be created to remove long stagnation of senior state cader jail officers. This will help in security of the jails in the state and will keep the moral high of the officers.
17. Pay scale, facility like mobile, pistol etc. should be granted to jail officers at par with the police officers in respective caders.
18. We should consider programmes/activities etc. for children livingin jails in order to make them good citizen of the country.
19. There should be proper coordination among jail officers and police officers for sending prisoners to hospital for treatment, court etc.
20. Equal Human Rights of each prisoner be granted.

21. Prisoners/undertrialsbe also granted facility to cast their vote in Assembly, parliament and panchyat elections.

B. **Visit of Police Stations**

Visited

1. Shymla hills police station, Bhopal District.
2. Maheswar police station of Khargaon District.
3. Rawjee Bazar police station, Indore district.

Observations

1. The police station are dirty and filthy
2. Lockups (Hazat) are small, dark, no electric connection.
3. No safe drinking water facility.
4. Women lockups are being used as store room.
5. Toilets inside lockup are dirty and no water facility
6. In Rawjee Bazar police station a person in the lockup complained that he was beaten and was in the lockup for five days.
7. Police station of the M.P requires special attention.

C. **Visit of University**

1. Barktulla University, Bhopal
2. AhilyaBai University, Indore

Observation

1. There is noinbuilt redressal mechanism of violation of Human Rights in both the University.
2. There is lack of coordination between university administration and Faculty members.
3. There is wide gap between university administration, Faculty members and students leading to violation of Human Rights.
4. Lack of Promotional avenues of university administration staff, teachers and frequent political interventions lead to frequent violation of Human Rights.
5. Lack of teachers deprives students from quality teaching specially in technical, vocational and professional courses.
6. Disparity in payment of honorarium per class to teachers also deserves our attention.
7. Students have a lot of complain, we should consider for a proper and adequateplatform for Human Rights.

D. <u>Visit of Hospital</u>

Visited District Hospital of Bhopal and Indore.

1. The Hospital are not properly cleaned, chances of infections are very high.
2. District Hospital of Indore is very dirty; even the doctor's chambers are not properly cleaned and no proper arrangement to examine the outdoor patients.

3. Though medicines are provided but quality of medicines needs to be examined.
4. In the districts Hospital of Indore one of the female patient complained that for last one month she was coming to get her eyes examined but each time eye doctor was not available and today she was given medicine of cold and cough. She complained in front of eye specialist that she is asking for eye to be examined and she is unable to see but she has been given medicine for cold and cough. On my enquiry from eye specialist the answer was 'her eye will be ok. By taking cold and caught syrup'. Mrs. Gulnaj is the patient of Chandan Nagar, Indore and T.S. Hora is the Eye specialist. This deserves commission attention.
5. The X-ray room and pathological test rooms are very dirty and full of dust.
6. Building of the Indore Hospital was earlier Dairy and even today human beings are treated in this building with Dairy mentality.
7. Distribution of free medicine requires quality cheek.
8. Food given to patient needs to be updated.

E.

1. Visit of Observation Home, Juvenile Home, Indore

Observation

1. No Norms are being followed.
2. Kitchen and drinking water are unhygienic.

3. Vocational programme and skill development programme be introduced and run in reality not only own paper.
4. Adequate number of teachers and security deserve our attention.
5. Training in computer education should be provided with adequate number of computer.
6. It appears that it is a neglected sector of the state government.

F.

Meeting with chief secretary and D.G. police of M.P. in Bhopal.

Observations of the visit were briefly shared with them and they assured to update.

G.

Visit of villagers of communal rights in Harda district of M.P.

It has been reported that communal violence took place in chipabar and Khirkiya of Harda district of M.P. On 19th September 2013.

Main reason was killing of a cow by Tajjukhan and his servant.

Interviewed villagers of Chipabar and Khirkiya etc.Discussed with the District Administration. Curfew was also clamped for two days.

It has bee reported that the Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad and the then BJP local MLA were behind the incident.

After meeting with villagers, local administration, Media and NGO it emerged that the district level administration and district level officersandlocal police and administration failed to tackle the situation.

Details report made available is attached here with.

The compensation amount given to sufferer is very little, it should be practical.

H. Public DistributionSystem

Visited out let of Public Distribution system in Bhopal

Observation

1. The beneficiaries complained that Kerosene oil is not given.
2. Beneficiaries complained that the packet of 1 K.G. salt is only 900 gm. This was verified in the presence of accompanying officers of food and civil supplydepartment of the state government.
3. The quality of the rice is very low and broken. The B.P.L.beneficiaries said that they purchase it at the rate of Rs.1 Per K.G. and Sale it in open market at the rate Rs.15 per K.G. the purpose of giving Rice and Wheat at the rate of Rs.1 seems to be defeated.

Enclosures

1. DetailsReport of Central Jail and District jail.
2. Govt. Report on communal riot in Harda district.

ıч 600 | 107 707+05 ਕਦਧ

दियों की स्थिति सामान्य है।

द्युत व्यवस्था अत्यधिक पुरानी होने से सुरक्षित नही
ान में जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र.
वन/2013 दिनांक 02.12.2013 द्वारा 14 बैरिकों की
वस्था सुधार कार्य हेतु राशि रू. 92000/-- स्वीकृत
हैं, बजट प्राप्त होते ही उक्त कार्य करवाया जावेगा।

ल में पुस्तकालय है, जिसमें संधारित विभिन्न धार्मिक
माजिक पुस्तके बंदियों को पढने हेतु दी जाती है।
ा बंदियों को समाचार पत्र भी पढने हेतु दिये जाते

वार्ड में माँ अहिल्या वाचनालय प्रारंभ किया गया है।

ालय भोपाल द्वारा विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार
ा जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है।

13 में 02 बंदियों की उपचार के दौरान एम.वाय.
ल इंदौर में मृत्यु हुई।
ृत्यु प्रकरण की जांच माननीय न्यायालयों द्वारा की
है।
भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध जाँच नही है।

Annexure [illegible]

0938–केन्द्रीय जेल भोपाल वर्ष 2013–14 बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक

मद संख्या/ नाम	प्राप्त बजट	व्यय	शेष
0938 –भोपाल	-	5.32 66 088	-
11–वेतन			
21–[illegible]	-	35,410	-
19–001–कार्या.व्य./[illegible]	11 04 800	6,97,771	4,07,359
[illegible]			
[illegible]–[illegible] अग्रिम	12000	-	12,000
016–अनाज अग्रिम	12,000	-	12,000
1529–11–वेतन		22.32.235	
22–कार्यालय व्यय			
001–डाक टिकिट एवं तार	55,000	55.000	-
002–दूरभाष		36,173	
004–पुस्तक पत्रिकाऐं	24,604	8957	15,647
005–जल एवं विद्युत प्रभार	-	1,04,31,648	-
007–लेखन सामग्री	5,62,533	1,80,944	3.81,589
008–अन्य आकस्मिक	12,395	12,395	-
009–पेट्रोल तेल	7.42.958	6.92.803	50,155
013–कार्या.उप.क्रय	26,257	-	26,257
31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां			
003–अभिभाषकों की फीस	20,240	7,290	12.950
004–बंदी पारिश्रमिक	58,45,832	58,44,925	907
006–सफाई व्यवस्था	22,45,174	22,45,082	92
33–अनुरक्षण व्यय			
001– स्थाई संपत्तियों का अनु.	5,27,428	62,702	4.64,726
002–मशीन एवं उपकरण अनुरक्षण	77,565	76,851	714
003–वाहन अनुरक्षण	1,77,495	1,49,485	28,010
006– फर्नीचर अनुरक्षण	1.23,664	1.06,664	17,000
34–सामग्री एवं पूर्तियां			
001–मटेरियल क्रय	2,00,000	1,99,423	577
002–दवाईयां	32,89,680	30,89,580	2,00,100
004–राशन का मूल्य	2,96,36,620	2,96.35.600	20
006–खपने वाला सामान	10.000	9.992	08
36–कपड़ा बिस्तर, टेंट्स	40,24,560	28,77,115	11,47,445
37– मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	5,000	4,978	22
51–अन्य प्रभार	40.000	39,997	03
34–003 अन्य (उद्योग)	73,39,033	63,37,652	10,01,381
5044–51–अन्य प्रभार (योजना)	5.02,506	3,35,004	1,67,502
5044–33–001 स्थाई संपत्तियों का अनु. (योजना)	1,54,625	1.54,625	-
5044–34–001 मटेरियल क्रय (योजना)	7,25,000	2,25,000	5,00,000

[signature] 13/12/13

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल भोपाल, म.प्र.

Points to be Consider during jail visit

1	[illegible]		
2	[illegible]		
3	Mentally ill prisoners		
4	Foreign national prisoners		
5	Prisoners of other state	5	[illegible]
6	Acquitted mentally ill prisoners	6	[illegible]
7	Mentally ill prisoners	7	[illegible]
8	Video conference facility	8	
9	Water supply and sanitation	9.	[illegible]
10	Food supply	10	[illegible]
11.	Board of visitors	11.	[illegible]
12.	Women prisoners	12	[illegible]
13.	Women prisoners with child	13.	[illegible]
14	Family as a prisoners-Dowry death etc	14.	[illegible]
15	Death in jail	15	[illegible]
16	Violence in jail	16	[illegible]
17	Jail staffing pattern	17	
18	Present security	18	[illegible]
19.	Parole	19.	[illegible]
20	New facilities	20.	[illegible]
21	Jail hospital Doctor on Service Vacant Post	21.	[illegible]
22	Water supply and sanitation	22.	[illegible]
23	Education	23.	[illegible]
24	Entertainment	24.	[illegible]
25	Visitor	25.	
26	Legal Aid	26.	[illegible]
27	Involvement of NGOS	27.	
28	Vocational training	28.	[illegible]
29	Visit by authorities	29.	[illegible]
30	Meeting with the visitors	30	
31	Security within prison	31.	[illegible]
32	Inspection	32.	[illegible]

	...ature ...		
	...structures ...		
	...gory of details of prisoners	35	
	...tion of prisoners	36	
	...water supply in jail and wards	37	
	Library	38	
39	Yoga	39.	
40	Lok adalat/ Legal Aid	40.	
41	Budget of jail	41	
42	Custodial death ..	42	
43	Industry-Small scale-Cottage	43	
44	interview	44.	
45	Goshala	45	
46	Gardening	46.	
47	Cultural programes	47	
48	sports	48.	
49	religious activities	49	
50	TV/ Newspaper	50.	
51	Vocational training	51.	
52	Observation and Recommendations	52.	

1	Bonded labourers and their rehabilitation in the state.	1	
2.	Cases Registered for offences under Bonded Labor Abolition Act 1976.	2.	
3.	Juvenile justice system- observation Home.	3.	
4	Implementation of the PC and PNDT Act in MP/ Chattisgarh preconception and prenatal Diagnostic Technique. (Regulation and prevention of Misuse Act Amended in 2004.)	4.	
5	Special Juvenile Police units.	5	
6	Child protection unit.	6	
7	Child tracking system		
8	Juvenile Justice personal	8	

कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी खिरकिया, जिला–हरदा

क्रमांक / ... / रीडर / 2013 खिरकिया दिनांक – 28.09.2013

प्रति

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय
हरदा

विषय :– दिनॉक 19.9.2013 को कस्बा छीपाबड एवं खिरकिया की घटना के संबंध में प्रतिवेदन।

––00––

दिनॉक 19.9.2013 को हुई आगजनी एवं उपद्रव की घटना का वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन इस प्रकार है कि सान्हा हासिया रो.सा.838 समय प्रातः 9.07 बजे मोबाईल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि तज्जू खॉ के खेत में गाय सोयाबीन चरने घुस गई तो तज्जू खॉ और उसके नौकर मुन्ना कोरकू ने लाठियों से गाय को पीटकर मार डाला और मरी गाय को ट्रेक्टर ट्राली में डालकर सिन्ध बाबा के पास नाले में फेंक दिया। कुछ लोग जिनमें सुरेन्द्र टाईगर,संदीप विश्नोई,सुधीर सोनी,हरदा के दीपक राज सोनी मामले को मुद्दा बनाकर माहौल बना सकते है। सूचना पर तत्काल उपनिरीक्षक श्री वीरेन्द्र घुरैया को तस्दीक हेतु भेजा गया। सूचना पर थाने के एचसीएम श्री चन्द्रप्रकाश को उपलब्ध बल को एकत्र करने हेतु कहा गया। थाना प्रभारी छीपाबड द्वारा थाने को फोकटपुरा पहुचने पर उपनिरीक्षक श्री घुरैया मिले जिनके साथ तज्जू,नियाज,मुन्ना कोरकू की तलाश करते हुये वहॉ पर भीड एकत्रित थी भीड में 2 व्यक्ति जो हुलिये से मुस्लिम समाज के दिख रहे थे के साथ 1 मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी था,जो गौवध की घटना को लेकर काफी उत्तेजित होकर मरने मारने को उतारू थे,फोकटपुरा के लोगों के सामने उनको काफी समझाया नहीं मानने पर सावधानी पूर्वक धारा–151 जा.फौ.के तहत कार्यवाही कर उनको थाने लाया गया। साथ में फरियादी भजनलाल विश्नोई (मृत गाय का मालिक) को भी साथ लाया गया। थाने में 9.30 बजे भजनलाल विश्नोई उम्र–29 साल निवासी फोकटपुरा द्वारा रिर्पोट की गई की उसकी गाय दिनॉक 18.9.2013 को सुबह चरने छोडी थी जो कि शाम को घर वापस नहीं आयी। आज सुबह संदीप और नर्मदेश ने बताया कि गाय को तज्जू खॉ एवं उसके नौकर मुन्ना कोरकू द्वारा लाठी मारकर गाय की खाल निकलवा ली है। उक्त सूचना पर अपराध क्र–215/13 धारा–295,429 भादवि 4/9 गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004 का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी द्वारा थाने से उपलब्ध बल आर.गयाप्रसाद व आर.सतीश के लेकर मृत गाय के शव प्राप्ति स्थल पहटकला रोड नाले पर पहुचने पर पाया कि नाले में गोवंश का शव जिसका उपरी चमडा पूरा ताला ताला निकला हुआ था। फरियादी ने गाय के शव का हुलिया रंग तथा पूंछ का गुच्छा देखकर अपनी गाय का शव होना बताया। इसी समय मैं(अनुविभागीय दंडाधिकारी खिरकिया) घटना स्थल पर तहसीलदार खिरकिया सहित पहुँचा एवं फरियादी भजनलाल

विश्नोई एवं अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र टाइगर मौके पर मिले मेरे द्वारा उन्हें समझाया कि मृत गाय का पहले शव परीक्षण कराया जावे एवं आपके द्वारा बताये गये व्यक्तियों के विरूद्व थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तथा संबंधितों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फरियादी तथा पंचों की उपस्थिति में बरामद पंचनामा तैयार किया एवं नगर पंचायत से ट्रेक्टर ट्राली को बुलवाकर गाय के शव को उसमें रखवाकर सउनि श्री यादव,प्र.आर.श्री गौर,सैनिक विशाल की सुरक्षा में पी.एम.करवाने हेतु पशु चिकित्सालय खिरकिया हेतु रवाना किया गया।

घटना के पश्चात् जब गाय को पोस्टमार्टम के लिये ले जा रहा था तभी रास्ते में तथाकथित बजरंग दल,विश्व हिन्दु परिषद एवं गौरक्षक के कार्यकर्ता नें सुरेन्द्र टाईगर,भजन विश्नोई,संदीप विश्नोई,सुनील गोदारा,मनोज विश्नोई,पंकज विश्नोई,जगदीश कहार,सुधीर सोनी,पूनमचन्द्र गुप्ता,नितिन गुप्ता,अशोक टीटी,नर्मदेश मिश्रा,सुनील शर्मा,छोटू ठाकुर,दीपक राज सोनी हरदा,दीपक यादव,दुर्गा मेहतर,सोनू पासी,रवि पासी,जितेन्द्र साध्य,मुकेश कट्टा,मलिंगा पानवाला,सुभाष गढवाल,गोलू पासी,सावन,भूरा विश्नोई,रिंकू बेलदार,रानू तिवारी आदि मृत पशु को ले जा रहे ट्रेक्टर को रोक कर चक्का जाम कर दिया तथा आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। मौके पर मेरे द्वारा एवं एस.डी.ओ.पी.हरदा,तहसीलदार खिरकिया एवं थाना प्रभारी छीपाबड ने काफी समझाईश देकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया। तथा बतलाया गया कि आरोपीगण पकड जा चुके है अतः पुलिस को अपनी कार्यवाही करने दे परंतु भीड किसी भी बात को सुनने हेतु तैयार नहीं थी। उस समय भीड में मौजूद बजरंग दल के सहायक मंत्री दीपकराज सोनी एवं गौरक्षा कमांडो फोर्स के अध्यक्ष सुरेन्द्र उर्फ टाईगर लगातार भीड को भडका रहे थे तथा पुलिस की बात सुनने हेतु तैयार नहीं हो रहे थे।प्रदर्शनकारियों में सुरेन्द्र टाईगर ट्रेक्टर ट्राली पर चढ गया जिसके साथ जगदीश कहार,अशोक टीटी सुनील शर्मा,जितेन्द्र साध भी चढ गये और साम्प्रदायिकता भडकाने वाले नारे मुसलमान मुर्दाबाद,गाय काटने वालों के हाथ काट दो सालो के,जय जय सियाराम,गौमाता की जय,आरोपियों को हमारे हवाले करो हम सजा देगे,जितेन्द्र साध भी वही खडी मेरे शासकीय वाहन पर चढ गया और भीड़ को एकत्र पर उत्तेजित करने लगा तथा भीड मेरे शासकीय वाहन एम.पी.02–आरडी–4706 को पीछे धकेलने लगी । हरदा का दीपक राज सोनी भीड़ में घूम घूमकर एकत्रित लोगों को भड़काने लगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की समझाईश के बाद भी प्रदर्शनकारी उत्तेजित हो गये और हाथों में डण्डे,सरिये और एंगल लेकर और अधिक साम्प्रदायिक नारे लगाने लगे। करीब 13.00 बजे एसडीओपी द्वारा एसओ रहटगांव पिपलोदिया को बल के साथ लियाकत के मकान व परिवार की जानमाल की सुरक्षा की समझाईश देकर रवाना किया तभी उत्तेजित भीड़ ने नेताजी चौक के पास स्थित कबाडी की दुकान से टायर निकालकर जलाये और वहाँ खँड़े फलों के ठेलों को उलटाकर नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। इस समय पुलिस बल अति अल्प संख्या में था जबकि भीड़ की संख्या 500 से अधिक हो गयी थी। भीड़ के द्वारा अल्पसंख्यक दुकानदारों एवं घरों की ओर बढ़ने पर पुलिस द्वारा रोकने

का प्रयास किया गया परंतु भीड द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव प्रारंभ कर दिया गया तथा यह कहते हुये आरोपी को उनके हवाले किया जाये थाने की तरफ बढ़ने लगे तब तक मौके पर पहुँचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा भीड को थाने की ओर बढ़ने से रोका तथा उन्हें समझाने का प्रयास किया परंतु भीड़ उस समय तक किसी भी बात को सुनने के लिये तैयार नही थी। तथा नेतृत्वविहीन प्रतीत हो रही थी । ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उग्र भीड़ को थाने की ओर बढ़ने से रोकने हेतु हल्का बल प्रयोग एवं टियर गैस का उपयोग कर उग्र भीड को खदेडने का प्रयास किया गया तो भीड अलग अलग गुटों में बटकर कस्बा के अल्पसंख्यक के घर,दुकानों एवं धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ गयी। अत्यंत कम पुलिस बल होते हुये भी पुलिस द्वारा टियर गैस, लाठी चार्ज एवं आत्मरक्षार्थ हवाई फायर भी किये गये परंतु तब तक उग्र भीड ने कस्बे के अल्पसंख्यक घरों दुकानों एवं धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। मौके पर विपरीत परिस्थिति उपरांत होने तथा थाना प्रभारी छीपाबड द्वारा लिखित रूप में मौके पर भीड़ को नियत्रित करने हेतु वैधानिक कार्यवाही किये जाने का निवेदन करने पर मेरे द्वारा 14.45 बजे धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू करते हुये पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सम्पूर्ण खिरकिया एवं छीपाबड कस्बे में उद्घोषणा की गई।

कस्बे से भीड को खदड़ने पर भीड का एक गुट अचानक शहर के 3–4 किमी दूर स्थित बस्ती खेड़ा पहुँच गया तथा अल्पसंख्यक समाज के घरों पर हमला कर दिया। चुँकि उक्त खेड़ा बस्ती अत्यंत विस्तृत एवं खुले क्षेत्र में फैली हुई है जिसमें उपद्रवी भीड द्वारा चारों तरफ से घुसकर पथराव व आगजनी प्रारंभ कर दी गयी। तब तक जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिला हरदा मौके पर पहुँच चुके थे। जिनके द्वारा उपलब्ध बल के साथ भीड़ को हल्का बल प्रयोग,टियर गैस तथा आत्मरक्षार्थ हवाई फायर द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। परंतु भीड के नियंत्रित न होने पर 16.15 बजे कर्फ्यू लागू किया गया तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सम्पूर्ण खिरकिया एवं छीपाबड कस्बे में एनाउसमेंट कर भीड को खदेड़ दिया गया एवं कर्फ्यू लागू कराया गया। पुलिस द्वारा शक्ति से उग्र भीड को खेडा में काफी दूर तक खदेडा तथा जलते मकानों की आग बुझाई,स्थिति को नियंत्रण में लाने हेतु कई राउण्ड फायर तथा अश्रु गैस के गोले फेंकने पडे। खेडा में सुरक्षा हेतु आवश्यक बल लगाया गया। उग्र भीड ने थाना छीपाबड मोबाईल जीप,टाटा 407 वाहन खिरकिया तथा हरदा के फायर बिग्रेड के वाहनों मे तोड फोड़ कर भारी नुकसान किया। नेताजी चौक से ही हिंसक उपद्रवियों की मौके से ही धरपकड कर गिरफ्तारी कर थाने भेजना शुरू किया। उग्र भीड ने इधर उधर भागना एवं छिपना शुरू कर दिया। इसी दौरान कस्बा में डीआरपी,अन्य थाने तथा जिला बल आने पर सख्ती से खदेडना शुरू कर दिया तथा कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराया गया। साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों,महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों,मदीना मस्जिद,कब्रस्तान,खेडीपुरा मस्जिद,फोकटपुरा मस्जिद,गुरूद्वारा,जैन मंदिर,चारूवा मंदिर,कस्बा के आने जाने वाले मार्गों,हरदा रोड,खण्डवा रोड,चारूवा रोड पर सशस्त्र पुलिस बल लगाया गया। फोर्स के खाने पीने,ठहरने की व्यवस्था कराई गयी।

	1. उनके द्वारा बंदियों एवं उनके साथ [illegible] बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 2. राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा इस वर्ष 67 बंदियों को साक्षर किया गया। 3. इग्नू द्वारा इस जेल पर केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। 4. अनेक निरक्षर बंदियों को साक्षर किया जा रहा है। 5. 01 महिला बंदी द्वारा बी.ए. की परीक्षा दी गई है।
[illegible] के मनोरंजन ([illegible])	1. बंदियों के मनोरंजन के लिये व्हालीबाल, कैरम, चैस, योगासन तथा अन्य खेल प्रतिदिन करवाये जाते हैं। 2. सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पढ़ने के लिये पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है। 3. कई स्वयं सेवा संस्थाओं द्वारा जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाये जाते है।
[illegible] अदालत एवं विधिक [illegible] ([illegible] legal aid)	1. दिनांक 30.11.2013 को आयोजित मेगा लोक अदालत में 03 बंदियों के प्रकरण का निराकरण जिला न्यायालय इंदौर हुआ। जिसमें 02 बंदियों को भुगती सजा पर दंडित किये जाने से उन्हे रिहा किया गया एवं 01 बंदी को 06 माह की सजा दी गई। 2. वर्ष 2013 में 03 विधिक सहायता शिविर आयोजित किये गये। वर्ष 2013 में इस जेल में परिरुद्ध 27 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। 3. दिनांक 30.11.13 को रोटरी क्लब ऑफ सेंचुरी इंदौर द्वारा 05 बंदियों की जुर्माना राशि 11800/– जमा कराई गई। 03 बंदी जुर्माने की सजा भुगतने से उन्हे दिनांक 30.11.13 को रिहा किया गया है।
[illegible] संस्थाएँ और जेल ([illegible] of ngos)	1. मनु मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से जेल जिला इंदौर परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाडी का संचालन किया जा रहा है। 2. सुधार संस्था द्वारा समय–समय पर बंदियों के जुर्माने भर कर उन्हे रिहा होने में मदद की। 3. रोटरी क्लब ऑफ सेंचुरी इंदौर की ओर से सिलाई प्रशिक्षण हेतु 03 सिलाई मशीनें दान स्वरूप दी गई। 4. दिगम्बर जैन बालयति संस्था की ओर से साउण्ड सिस्टम दान स्वरूप दिया गया है। 5. प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्दौर शाखा की सिस्टर्स द्वारा जेल में परिरुद्ध महिला एवं बच्चों की शिक्षा एवं समय–समय पर मनोरंजन व प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं।

<table>
<tr><td>[illegible]</td><td>लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, इन्दौर [illegible] [illegible] संस्थाओं जैसे - मनु मेमोरियल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ इन्दौर प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्दौर शाखा, ब्रम्हकुमारी संस्था एवं सुधार संस्था द्वारा बंदियों को व्यावसायिक सिलाई प्रशिक्षण, दीये बनाने का प्रशिक्षण, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया।</td></tr>
<tr><td>[illegible] निरीक्षण एवं दौरे ([illegible] & inspection by [illegible])</td><td>माननीय न्यायाधीश महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जेल का निरीक्षण किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>[illegible] पूर्व रिहाई ([illegible] release)</td><td>वर्ष 2013 में शासन माफी का लाभ प्राप्त कर 15 अगस्त 2013 को आजीवन कारावास के 04 बंदीगण रिहा हुये थे।</td></tr>
<tr><td>[illegible] वर्गीकरण ([illegible] of details of [illegible])</td><td>
<table>
<tr><th>बंदी का प्रकार</th><th>पुरुष बंदी</th><th>महिला बंदी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>दंडित बंदी</td><td>166</td><td>72</td><td>238</td></tr>
<tr><td>विचाराधीन बंदी</td><td>408</td><td>32</td><td>440</td></tr>
<tr><td>एन.डी.पी.एस.</td><td>22</td><td>02</td><td>24</td></tr>
<tr><td>साधारण बंदी</td><td>02</td><td>–</td><td>02</td></tr>
<tr><td>सिविल बंदी</td><td>02</td><td>–</td><td>02</td></tr>
<tr><td>रा.सु.का.</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>मृत्युदंडित</td><td>–</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>600</td><td>107</td><td>707+05 बच्चे</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>[illegible] कैदियों की स्थिति ([illegible] of prisoners)</td><td>जेल में कैदियों की स्थिति सामान्य है।</td></tr>
<tr><td>[illegible] विद्युत व्यवस्था ([illegible] supply in jail and [illegible])</td><td>जेल में विद्युत व्यवस्था अत्यधिक पुरानी होने से सुरक्षित नही है। वर्तमान में जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. 18582/भवन/2013 दिनांक 02.12.2013 द्वारा 14 बैरिकों की विद्युत व्यवस्था सुधार कार्य हेतु राशि रू. 92000/– स्वीकृत किये गये हैं, बजट प्राप्त होते ही उक्त कार्य करवाया जावेगा।</td></tr>
<tr><td>[illegible] पुस्तकालय (library)</td><td>1. इस जेल में पुस्तकालय है, जिसमें संधारित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तके बंदियों को पढने हेतु दी जाती है।
2. प्रतिदिन बंदियों को समाचार पत्र भी पढने हेतु दिये जाते हैं।
3. महिला वार्ड में माँ अहिल्या वाचनालय प्रारंभ किया गया है।</td></tr>
<tr><td>[illegible] वित्त व्यवस्था ([illegible] of jail)</td><td>जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार बजट दिया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>[illegible] मृत्यु (custodial death)</td><td>1. वर्ष 2013 में 02 बंदियों की उपचार के दौरान एम.वाय. अस्पताल इंदौर में मृत्यु हुई।
2. उक्त मृत्यु प्रकरण की जांच माननीय न्यायालयों द्वारा की जा रही है।
3. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जाँच नही है।</td></tr>
</table>

[illegible]	1. इस जेल में वर्तमान में सिलाई उद्योग [illegible] है जिसमें केन्द्रीय जेल इंदौर से बंदी वस्त्र का कपड़ा [illegible] लाकर बंदी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। 2. इस जेल पर पदस्थ श्री सुरेन्द्रपालसिंह चन्देल, बुनाई अनुदेशक जेल मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार केन्द्रीय जेल इंदौर पर पाबंद होकर कार्यरत है, जबकि हैण्डलूम संस्थापित करने हेतु बजट की मांग की जा रही है। 3. महिला वार्ड में ब्लॉक प्रिंटिग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
[illegible] परिजन मुलाकात [illegible] (interview)	बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात टफन ग्लास एवं इंटरकॉम के माध्यम से परिजनों से नियमानुसार मुलाकात करवाई जाती है साथ ही पुरुष एवं महिला बंदियों को पृथक–पृथक टेलीफोनों से टेलीफोन मुलाकात दी जाती है।
[illegible] (goshala)	इस जेल में गौशाला नही है।
[illegible] (gardening)	जेल परिसर एवं जेल में खाली पडी जमीनों पर बगीचे बनवाये गये है, जिन में बंदी प्रतिदिन पानी से सिंचाई कर सुन्दर बनाने का प्रयास करते है।
[illegible] सांस्कृतिक कार्यक्रम [illegible] programs-)	जेल में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। माह नवम्बर 2013 में जेल में आयोजित कार्यक्रमों की सूची संलग्न है।
[illegible] (sports)	बंदियों के लिये व्हालीबाल, कैरम, चैस, योगासन, बेडमिंटन तथा अन्य खेल प्रतिदिन करवाये जाते है।
[illegible] गतिविधियाँ [illegible] activities)	1. धार्मिक कार्यक्रम तथा पढने के लिये पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भजन, कीर्तन तथा विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये दिनों में मानसिक चेतना से संबंधित कार्यक्रम भी किया जाता है। 2. दिनांक 23.11.13 को राष्ट्रसंत आचार्य विराग सागर जी महाराज द्वारा प्रवचन दिये गये उन्होंने पश्चाताप के साथ नशामुक्ति का संदेश भी दिया। बंदियों द्वारा तम्बाकू, बीडी, सिगरेट छोडने का प्रण लिया गया। 3. दिनांक 29.12.13 को राष्ट्र संत भय्यूजी महाराज द्वारा प्रवचन निर्धारित है।
[illegible] समाचार–पत्र [illegible] paper)	1. प्रत्येक बंदी बैरिक में टी.व्ही. की सुविधा उपलब्ध है। 2. बंदियों को पढने हेतु समाचार–पत्र (दैनिक भास्कर, नईदुनिया, पत्रिका, राजएक्सप्रेस, स्वदेश, नवभारत) एवं इंडिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका दी जाती है।
[illegible]	1. महिला बंदियों को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से ध्यान एवं योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा संस्था द्वारा समय–समय

पर योग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं द्वारा प्रातः अन्य महिला बंदियों को योग सिखाया जाता है।

3. प्रशिक्षित पुरुष बंदियों द्वारा भी प्रतिदिन अन्य बंदियों को योग सिखाया जाता है।

and

1. महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पूर्णकालिक महिला एवं बाल रोग चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की आवश्यकता है।
2. जेल में दंडित बंदियों को ऊनी जैकेट का वितरण किया जाता है, किन्तु दंडित महिला बंदियों के लिए साड़ी पर जैकेट पहनना बहुत सुविधाजनक (Comfortable) न होने से वे इसका उपयोग नही कर पाती है। कृपया महिला बंदियों के लिये खादी ग्रामोद्योग से कार्डीगन खरीदने की अनुशंसा करने का कष्ट करें।
3. पूर्व में महिला दिवस पर शासन आदेशानुसार आजीवन कारावास से दंडित महिला बंदियों को 14 वर्ष माफी मिलाकर रिहा करने के आदेश प्रसारित किये जाते थे। विगत दो वर्षो से महिला दिवस पर कोई शासन आदेश प्राप्त नही हुये है। वर्तमान में आजीवन कारावास से दंडित महिला बंदियों को भी पुरुष बंदियों की भांती स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर शासन आदेशानुसार 14 वर्ष + 06 वर्ष माफी कुल 20 वर्ष पूर्ण करने पर रिहा करने के शासन आदेश के पालन में रिहा किया जाता है। कृपया पूर्व की भांती महिला दिवस पर शासन आदेश प्रसारित करने हेतु प्रयास करने का कष्ट करें।

प्रशासनिक अनुशंसाएँ

1. जिस प्रकार पुलिस विभाग में 13 माह का वेतन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है। उसी प्रकार जेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियो को भी प्रदाय किया जाना चाहिये।
2. पुलिस विभाग में ए.एस.आई. के वेतनमान के बराबर जेल विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारी का वेतनमान दिया गया है। अतः सहायक अधीक्षक को पुलिस निरीक्षक के बराबर वेतमान दिया जाना चाहिये क्योंकि दोनो ही रैंक में तीन सितारे धारण किये हुये रहते है।
3. पुलिस विभाग के ए.एस.पी. एवं जेल विभाग के उप अधीक्षक समान रैंक धारण किये जाने के उपरांत भी उप अधीक्षक का वेतनमान सहायक पुलिस निरीक्षक के समकक्ष है। अतः उप अधीक्षक को पुलिस विभाग के डी.एस.पी. के बराबर वेतमान दिया जाना चाहिये।
4. साप्ताहिक अन्य विभागों की तरह जेल विभाग में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सप्ताह में 01 दिवस का अवकाश दिया जाना चाहिए।

5. जिस प्रकार अन्य विभागों में अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति प्रदान की जाती है उसी प्रकार जेल विभाग के भी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति प्रदान की जानी चाहिये ताकि जेल में लगातार कार्य करते रहने पर होने वाले मानसिक अवसाद से निजात मिल सके। साथ ही प्रहरियो व अपराधियों के बीच पनपने वाले अनैतिक नापाक गठजोड को रोका जा सकें।